कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.)

दूरभाष (का.) 07868 –241222 (नि.) 222288, फैक्स (का.) 241801 (नि.) 222960

–:: आदेश ::–

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

क्रमांक/कले/SW/2020/ 895 कांकेर, दिनांक 17 मई, 2020

कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्रमांक 253/स.सा.प्र.वि/2020 नवा रायपुर अटल नगर दिनॉक 17.05.2020 में दिए गए निर्देशानुसार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/कले/SW/2020/ 832 कांकेर, दिनांक 03 मई, 2020 के अनुक्रम में **दिनॉक 31.05.2020 तक या आगामी आदेश पर्यन्त जो पहले आये तक पूर्णतया लॉकडाउन का आदेश पारित जाता है ।**

केवल स्थापना अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड दुकान/प्रतिष्ठानों को सोमवार से शुक्रवार तक शासन के आदेशों के अधीन (शुक्रवार की सायं 5.00 बजे से सोमवार सुबह 6.00 बजे तक को पूर्ववत् सम्पूर्ण लॉकडाउन रखते हुए) निम्नानुसार संचालन की अनुमति होगी :–

- **प्रतिदिन (समय प्रातः 10.00 से सायं 5.00 बजे तक) खुलने वाले दुकान/प्रतिष्ठान :–**
  - बर्तन दुकान, फर्नीचर दुकान, फोटो स्टूडियो, प्रिंटींग प्रेस/फ्लैक्स एवं मोबाईल शॉप (रिचार्ज एवं विक्रय की अनुमति होगी) कपड़ा दुकान, जुता एवं चप्पल दुकान, ज्वेलर्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर, मनीहारी (प्रोव्हिजन स्टोर्स) एवं फैंसी स्टोर्स
- **प्रतिदिन (समय प्रातः 8.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक) खुलने वाले दुकान/प्रतिष्ठान**
  1. सब्जी, फल, अनाज ।
  2. डेली नीड्स/खाद्यान्न/किराना दुकान (सभी प्रकार) ।
  3. कृषि संबंधित मशीनरी/स्पेयर पार्ट विक्रय एवं मरम्मत ।
  4. छात्रों के लिए शैक्षणिक किताबों की दुकान ।
  5. पशुआहार एवं खाद उर्वरक, कीटनाशक एवं बीज विक्रय ।
  6. चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय ।
  7. निर्माण संबंधी हार्डवेयर ।
  8. ऑप्टीकल्स (चश्मा) ।
  9. सायकल (विक्रय/रिपेरिंग) दुपहिया एवं चारपहिया वाहन रिपेयर, स्प्रेयर पार्टस ।
  10. आटा मिल, दाल मिल ।
  11. फोटो कॉपियर ।
  12. स्टेशनरी की दुकान ।
  13. बिजली के पंखे, कुलर, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रीकल्स सामग्री विक्रय तथा मरम्मत ।
  14. दर्जी दुकान (टेलरिंग शॉप) ।
  15. खाद्य पदार्थ विक्रय के छोटे दुकान एवं होटलों के संचालन में सामाजिक दूरी के साथ टेक अवे सिस्टम आधार पर किया जा सकेगा । **होटल में बैठाकर खाना खिलाने या नास्ता कराने की अनुमति नहीं होगी ।**

- दुकानदारों को वैध गुमाश्ता लाइसेंस की प्रति अपने दुकान के सामने चस्पा करना होगा ।
- मिस्त्री, बढ़ाई प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक की सेवाओं अनुमति है ।

❖ **आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले निम्नांकित कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवओं को प्रतिबंध से छूट होगी :–**

1. कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी ।
2. स्वास्थ्य सेवायें (जिसके अंतर्गत सभी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं।)
3. दवा दुकान, चश्में की दूकान एवं दवा उत्पादन की ईकाई एवं संबंधित परिवहन ।
4. खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन ।
5. दूग्ध संयंत्र (मिल्क प्लांट) ।
6. घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रात 6.30 बजे से 9.30 बजे तक लॉकडाउन से मुक्त रहेंगे ।
7. मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयॉ, एटीएम वाहन, एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं/सेवाएं, जो इस आदेश में उल्लेखित हों, को परिवहन करने वाले वाहन ।
8. बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं ।
9. जेल ।
10. अग्निशमन सेवायें ।
11. एटीएम/बैंकिंग कार्य ।
12. टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाएं/आईटी आधारित सेवायें, ।
13. पेट्रोल/डीजल पंप एवं एलपीजी/सीएनजी गैस, पीडीएस परिवहन एवं भण्डारण/वितरण की गतिविधियॉ ।
14. खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई–कॉमर्स आपूर्ति ।
15. पूर्व से विभिन्न होटलों में रूके हुए अतिथियों के लिए डायनिंग सेवाएं ।
16. सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेंसियॉ (निजी एजेंसियों सहित) ।
17. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
18. राज्य सरकार द्वार विशेष आदेश से निर्धरित कोई सेवा ।
19. जिले के अंतर्गत स्थित समस्त औद्योगिक संस्थान/ईकाइयों एवं खान (Mining) को इस प्रतिबंध को छूट रहेगी ।

– समस्त औद्योगिक संस्थान/इाकईयॉ जिन्हें उक्त प्रतिबंध से छूट प्रदान की जा रही है, उनके लिए यह आवश्यक होगा कि वे न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग करेंगी एवं संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय–समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों को अक्षरशः पालन अनिवार्य रूप से करेंगीं ।

– सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।

17/5

—3—

- सोशल, फिजिकल डिस्टेशिंग का पालन करते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) अंतर्गत समस्त कार्यों का कराये जाने की अनुमति होगी ।
- सभी सेलून, ब्यूटी पार्लर के संचालन की अनुमति दी जा सकेगी किन्तु उन्हें इस कार्यालय द्वारा जारी एडवायजरी का पालन करना अनिवार्य होगा । (संलग्न)
- जिले समस्त स्पोर्टस् कॉम्पलेक्स एवं स्टेडियम आगामी आदेश तक बंद रखे जाएंगे ।
- स्थानीय एवं प्रशासकीय आवश्यकतानुसार जिला स्तर से अनुमति प्राप्त गतिविधियों के संबंध में कड़ाई की जा सकेगी ।
- जिले में कन्टेंटमेंट जोन होने की स्थिति में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों की अनुमति कदापि नहीं होगी ।
- जिले के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में सभी पंजीकृत प्रतिष्ठान (निजी एवं व्यवसायिक) को 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ उक्त दुकानों के परिचालन की अनुमति दी जाती है। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पान, गुटखा एवं तम्बाकु, सभी मॉल, सामुदायिक भवन, सामाजिक भवन, वैवाहिक भवन का उपयोग एवं परिचालन प्रतिबंधित होगा।
- माल वाहनों को रूकने के स्थल से नगरीय क्षेत्र के अंदर माल परिवहन हेतु दिन में आने की अनुमति नहीं होगी । माल वाहनों को रात्रि 9.30 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नगरीय क्षेत्र के भीतर माल परिवहन की अनुमति होगी ।
- रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं जैसे – सब्जी, दूध, अण्डे इत्यादि को लाने स्थानीय छोटे माल वाहनों को छूट होगी ।
- जिले में किसी भी स्थान पर दुकान संचालन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिले में धारा 144 प्रभावशील है। महामारी अधिनियम के तहत् हर कार्यवाही को अंजाम देने के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है तथा न्यूनतम 01 मीटर की सामाजिक दूरी के साथ कार्य करना होगा।
- दुकानों में आने वाले ग्राहकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 01–01 मीटर के अंतर पर मार्किंग किया जाए। मार्किंग के बगैर दुकानों का संचालन न किया जाए। संबंधित दुकानदार द्वारा मार्किंग किया जाकर सोशल डिस्टेंसिंग से क्रय–विक्रय की कार्यवाही की जाए। **दुकानों के सामने परिसर मे 01–01 मीटर की दूरी पर गोला बनाकर मार्किंग करने की जिम्मेदारी दुकान संचालक की होगी ।**
- समस्त दुकानों/प्रतिष्ठानों मे दुकानदार, कर्मचारी एवं ग्राहक सभी को मास्क अथवा कपड़े से मुंह एवं नाक को ढंकना अनिवार्य होगा। बिना मास्क लगाये ग्राहक को दुकानदार सामाग्री विक्रय नहीं करेंगे। दुकान में सेनेटाइजर एवं हाथ धुलाई की व्यवस्था की जाए ।
- मास्क का उपयोग नहीं करना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करना, हाथ धुलाई की व्यवस्था न होना, निर्धारित मानक से अधिक कर्मचारियों का उपस्थित होना इस आदेश का उल्लघंन मानते हुए संबंधित के विरूध्द अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा। प्रथम उल्लंघन पर अर्थदण्ड 500/–रूपये, द्वितीय उल्लंघन पर 2000/– रूपये अधिरोपित होगा। इसके पश्चात् भी उल्लंघन पाया जाता है , तो दुकान बंद करने हेतु कार्यवाही की जायेगी। अतः सुनिश्चित करें की शर्तों के अधीन ही दुकानों को संचालन किया जाए ।

- सार्वजनिक स्थानों पर घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य होगा । सार्वजनिक स्थलों में समस्त प्रकार के कार्यों में सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करना होगा । पालन नहीं किए जाने पर **अर्थदण्ड अधिकतम 100/– रूपए** ।

- सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबंधित है । सार्वजनिक स्थल पर थूकते पाए जाने पर **अर्थदण्ड अधिकतम 100/– रूपए** ।

- दुकानों/प्रतिष्ठान के सामने सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर कोई भी ग्राहक अपने वाहन नहीं रखेंगे, यह जिम्मेदारी दुकानदारों की होगी।

- सभी दुकानदार यह सुनिश्चित करे कि सामग्री लोडिंग–अनलोडिंग अपने दुकान की परिधि के भीतर होगी। यह कार्य सार्वजनिक आवागमन के मार्ग पर नहीं किया जावेगा।

- लॉकडाउन के संबंध में शासन/प्रशासन द्वारा समय–समय पर जारी नियमों का पालन अनिवार्य होगा।

- किसी भी स्थिति में, व्यायामशाला, तरणताल, सिनेमाघर, मॉल, सामाजिक समारोह के भवन वैवाहिक भवन, गार्डन, खेल मैदान एवं खेल से संबंधित क्षेत्र, बैठक व्यवस्था के साथ संचालित रेस्टोरेंट का परिचालन प्रतिबंधित होगा।

- जिले में वैवाहिक/शोक कार्यक्रम के आयोजन हेतु प्राधिकृत अधिकारी से अनुमति लेना होगा ।

- कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु आवश्यक निर्देश यथा फिजिकल डिस्टेंस, मास्क लगाना इत्यादि के पालन की जिम्मेदारी दुकानदार की होगी। निर्देशों की किसी भी प्रकार का अवहेलना किया जाना, पाये जाने की स्थिति में दुकानदार के विरूध्द प्रथमतः चालानी कार्यवाही एवं तद्पोरांत दुकान/प्रतिष्ठान सील करने की कार्यवाही की जावेगी ।

- सभी प्रकार के सामानों के परिवहन मालवाहक वाहनो के माध्यम से परिवहन की अनुमति होगी **(वैध लायसेंसधारी 2 वाहन चालक एवं 1 क्लीनर)** । इसके लिए पृथक से अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु इनमे किसी भी प्रकार से मानव परिवहन वर्जित होगा ।

- सभी प्रकार के ई–कामर्स कुरियर सर्विसेस, डोर टू डोर डिलीवरी की अनुमति होगी ।

- जिला उत्तर बस्तर कांकेर के समस्त नगरीय क्षेत्रों के बाहर या ट्रॅांसपोर्ट नगर के समीप चिन्हांकित भोजनालय–ढाबा को खोलने की अनुमति दी जाती है। चिन्हित भोजनालय–ढाबा में भोजन प्राप्त करने की केवल पार्सल आधारित (Take-away) सुविधा होगी भोजनालय–ढाबा में रूक कर अथवा बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं होगी।

17/5

–5–

- जिले में दिनॉक 18.05.2020 से दिनॉक 17.08.2020 तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (1) प्रभावी है, जिसके तहत् कांकेर जिला अंतर्गत सांय 7.00 बजे से प्रातः 7.00 बजे की अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति अनावश्यक परिभ्रमण नहीं करेगा एवं मूव्हमेंट पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा । आवश्यक गतिविधियों के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुमति दी जावेगी ।

टीपः– उपरोक्त आदेश का उल्लघंन किए जाने की दशा में ऐपिडेमिक एक्ट 1897, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188, भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 (1), पब्लिक एक्ट 1949, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60, छत्तीसगढ़ ऐपीडेमिक डीसीजेज कोविड–19 विनियम 2020 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत् जैसे लागू हो, के अंतर्गत विधिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

(के. एल. चौहान)
कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर

पृ. क्रमांक / कले / SW/2020 / 895-A
कांकेर, दिनांक 17 मई, 2020

प्रतिलिपि :–

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित्।
3. आयुक्त महोदय, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित ।
4. पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज कांकेर।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
8. सर्व अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
9. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उत्तर बस्तर कांकेर।
10. उप संचालक, जनसंपर्क, कांकेर को सूचनार्थ एवं समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
11. सर्व तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी कांकेर को पालनार्थ ।
12. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।
13. सर्व थाना / चौंकी प्रभारी, जिला उत्तरा बस्तर कांकेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।
14. सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका / नगर पंचायत जिला उत्तर बस्तर कांकेर ।

कलेक्टर
एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला उत्तर बस्तर कांकेर